

15/12/24

वकील मय बादीको ने उपस्थित होकर विद्वो
 को पत्र पेश किया। जिस पर पत्रावली नम्बर
 1/पेश की गयी। वकील बादी ने विद्वो को पत्र
 के आधार पर प्रार्थना पत्र/ दस्ता चिट्ठी करने
 का निवेदन किया। जिस पर पत्रावली का
 अवलोकन किया गया। विद्वो प्रार्थना पत्र के
 आधार पर दावा खारिज किया जाता है।
 पत्रावली फैसल सुनाए होकर दर्ज नम्बर
 ले कम ही आदेश सुले न्यायालय में
 सुनाया गया।

सुप्रीम अधिकारी
 न्यायालय

 अधिकारी
 न्यायालय